भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1614

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम

†1614. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय समुदायों को उनके अधिकार देने की प्रक्रिया में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कितने आदिवासियों को उनके वन अधिकार मिले हैं और कितने मामलों में निर्णय अभी भी लंबित हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) तथा (ख): नोडल मंत्रालय होने के नाते जनजातीय कार्य मंत्रालय, "अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006" (संक्षेप में एफआरए) के विधायी मामलों की निगरानी और प्रशासित कर रहा है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें 20 राज्यों (छत्तीसगढ़ सहित) और 1 संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है।

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एफआरए के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में इस मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) प्रस्तुत करते हैं। जैसाकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, 30.09.2024 तक, छत्तीसगढ़ राज्य में वन निवासी अनुसूचित जनजाति (एफडीएसटी) समुदाय को एफआरए के तहत कुल 4,22,101 **व्यक्तिगत अधिकार पत्र और 47,685 सामुदायिक अधिकार पत्रों** को मान्यता दी गई है। विवरण **अनुलग्नक** में हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 05.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1614 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

30.09.2024 तक प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में एफआरए के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मद	वैयक्तिक			सामुदायिक			कुल	
		अजजा	ओटीएफडी	कुल	अजजा	ओटीएफडी	कुल	अजजा	ओटीएफडी
1	प्राप्त दावों की संख्या	649341	238687	888028	52034	1,915	53,949	701375	240,602
2	वितरित किए गए अधिकार पत्रों की संख्या	422101	56462	478563	47685	1,585	49,270	469786	58,047
3	वन भूमि का विस्तार (सीमा) जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित किए गए (हेक्टेयर में)	346817.974	36532.301	383350.28	1963450.729	119350.592	2,082,801	2310268.7	155,882.893
4	अस्वीकृत दावों की संख्या	218883	178536	397419	2942	288	3,230	221825	178,824
5	निपटान किए गए दावों की सं. (क्रमांक 2 + 4)	640984	234998	875982	50627	1873	52500	691611	236,871
6.	लंबित दावों की संख्या (क्रमांक 1 - 5)	8357	3689	12046	1407	42	1449	9764	3,731

*****